पत्रांकः–उप / मु०मं०नि०यो०–19–04 / 2016(पार्ट–1) / 4555 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा, भा०प्र०से०
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 20/07/2020

विषय :– **मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के कार्य पूर्णता तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में।**

प्रसंग :– **विभागीय पत्रांक–4058, दिनांक–29.06.2020 एवं पत्रांक–907 दिनांक–05.02.2020।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक पत्र के द्वारा पंचायती राज विभाग अन्तर्गत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के कार्यपूर्णता उपरान्त तीन प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशित किया गया था।

विभाग को ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि कतिपय प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों का स्थानान्तरण अन्यत्र हो चुका है। संदर्भित है कि उनके कार्यकाल में ही उपरोक्त दोनों निश्चय योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है। अतएव यह प्रासंगिक है कि विभागीय निश्चय योजनाओं के कार्यपूर्णता उपरान्त उनके स्तर से ही उपर्युक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाय।

अनुरोध है कि स्थानान्तरित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के कार्य विमुक्ति से पूर्व उपयुक्त तीनों प्रमाण पत्र यथानुरूप अवश्य प्राप्त कर ली जाय एवं तदलोक में विभाग को शीघ्र संसूचित किया जाय।

विश्वासभाजन

9.7.20

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

कृ०पृ०उ०

D:\Sashi\Sec-03\2019 sashi\P.E.V\and ur\and ur.docx 271